VOL- VII ISSUE- II FEBRUARY 2020 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 6.293 ISSN 2349-638x

अन्य भाषाओं हेतु हिंदी भाषा शिक्षण
(देवनागरी लिपि से भिन्न लिपि भाषा के संदर्भ में)

डॉ. दिपक जाधव
विभाग प्रमुख
वेणूताई चव्हाण कॉलेज,
कराड, जिला– सातारा

भाषा शिक्षण से तात्पर्य क्या है? भाषा का शिक्षण, भाषा में शिक्षण या भाषा अर्जन। जब तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होगा तब तक भाषा शिक्षण के नाम पर भाषा में शिक्षण ही चलता रहेगा। जिस रूप में अन्य विषय पढ़ाते समय भाषा का सहारा लिया जाता है किंतु वहां भाषा एक माध्यम रूप में प्रयुक्त होती है और अध्येता का उद्देश्य संबंधित विषय की जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना होता है, यही हाल भाषा शिक्षण का होगा। भाषा उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती जितनी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित जानकारी बन जाती है। अत: उसकी सजगता का केंद्र भी जानकारी बन जाती है और भाषा मात्र साधन। जैसे सायंस,समाजशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल का छात्र भाषा का प्रयोग तो करता है किंतु उसका लक्ष्य भाषा अर्जन नहीं होता है। वह संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करने में भाषा का मात्र उपयोग करता है। यहां उसकी भाषिक अभियोग्यता नहीं जांची जाती बल्कि उसके जानकारी, आकलन, आंकड़े या तथ्य पर ध्यान दिया जाता है।

सवाल यह भी है कि क्या भाषा शिक्षण में भी यही अपेक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर अगर श हां श है तो हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारा उत्तर श ना श है तो हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए? हम जो कर रहे हैं वह भाषा शिक्षण है क्या? मात्र भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना और अन्य विषय पढ़ाने में भाषा का प्रयोग करना इसमें अंतर क्या है, इस पर ध्यान देना होगा। क्या इस तरह से पढ़ने–पढ़ाने से भाषा शिक्षण साध्य होगा? इसमें दो राय नहीं कि अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन से अधिक ध्यान भाषा अध्ययन में भाषा पर दिया जाता है किंतु यह ज्ञात हो कि भाषा शिक्षण में भाषा में शिक्षण की अपेक्षा भाषा अर्जन को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। श्भाषाश् भाषा शिक्षण के केंद्र में आनी चाहिए। जब तक श्भाषाश् भाषा शिक्षण के केंद्र में नहीं आएगी, भाषा शिक्षण में भाषिक अभियोग्यताएँ साध्य नहीं बन पाएगी। तब तक भाषा शिक्षण भाषा के माध्यम से भाषा संबंधी, साहित्य संबंधी जानकारी देने में जुटा रहेगा।

प्रस्तुत शोध आलेख में भाषा अर्जन में संलग्न बालक तथा भाषा शिक्षण की स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को ध्यान में रख अपनी बात दो मुद्दों पर करने की कोशिश की है।

१.१ भाषा परिचय – वर्णमाला

हमारी वर्तमान भाषा शिक्षण की व्यवस्था पहले चरण में भाषा शिक्षण (वर्णमाला) का प्रयास करती है और उसके बाद वह तुरंत भाषा के साहित्य की बात करने लगती है। बालक वर्णमाला से परिचित होने के बाद कुछ छोटे–मोटे वाक्य सीखने तक हम भाषा से साहित्य पर उतर आते हैं। वर्णमाला के अध्यापन में भी हम परंपरा से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि कई ऐसे वर्ण वर्णमाला में है जो संप्रति प्रयुक्त ही नहीं होते लेकिन बालकों को जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उदाहरण के लिए भी शब्द उपलब्ध नहीं है तो कुछ भाषा विज्ञान की कसौटी पर ही नहीं टिक पाते। संस्कृत की वर्णमाला को भले ही हिंदी ने अपनाया हो किंतु हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, संस्कृत नहीं। वर्णमाला के संबंध में हमें आग्रह ही होने के बजाय वैज्ञानिक तथा आधुनिक होने की आवश्यकता है। इस बारे में हिंदी वर्णमाला की निम्न स्थिति दृष्टव्य है–

' क ' वर्ग का पंचम वर्ण ' ङ ' जिसके लिए मात्र वांग्मय शब्द जिंदा रखा गया है जो संभवत: हिंदी में ना के बराबर प्रयुक्त होता है।

' च ' वर्ग का पंचम वर्ण ' ञ ' वर्तमान हिंदी में प्रयुक्त ही नहीं होता है। उदाहरण के लिए भी एकाध शब्द हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी बच्चा उसे पढ़ने के लिए मजबूर है।

' श ' और ' ष ' के बारे में मूर्धन्य और तालव्य बताने के अलावा उच्चरित भाषा प्रयोग में इनके भेद को जांचने

के विशेष साधन नहीं है। इनके उच्चारण भेद के ज्ञान के अभाव में दोनों का अलग अलग अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इनके अदला–बदली से अर्थ के धरातल पर शायद ही कोई परिवर्तन आता हो।

' संयुक्त व्यंजन ' क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ' हिंदी वर्णमाला का सर्वाधिक अटपटा और अवैज्ञानिक पक्ष है जो अकेला भाषा अध्येता के दिमाग पर चार वर्णों का बोझ डालता है। शुद्ध भाषा विज्ञान के आधार पर संयुक्त व्यंजनों को कसा जाए तो वे न तो उच्चारण के आधार पर और न ही लेखन के आधार पर संयुक्त व्यंजन रह जाते हैं। मेरे हिसाब से संयुक्त व्यंजन मात्र लेखन की विशिष्ट पद्धति से जन्मे हैं। उनके लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिखाई देता। यह संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र के बजाय क्श, त्र, ग्य, श्र भी लिखा जाए तो उनके उच्चारण एवं अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा।

हिंदी वर्णमाला से अनावश्यक वर्णों को हटाने से हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि भाषा अध्येता के लिए लिपि अधिक सरल एवं सहज ग्राह्य बनेगी। इससे भाषा अध्येता बालक भी अनावश्यक व्यंजनों की बोझ से, कंठस्थीकरण और प्रयोग से छुटकारा पा सकेगा।

१.२ भाषिक अभियोग्यता

भाषा शिक्षण में भाषा अभियोग्यता के चार चरण है–श्रवण, वाचन, भाषण एवं लेखन। इनमें उच्चारण एवं लेखन को सप्रयास अर्जित करना पड़ता है। श्रवण ध्यानपूर्वक करने के लिए सप्रयास सुनना जरूरी है तथा जो पढ़ा है उसे याद रखने के लिए भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके बावजूद यह दोनों क्रिया हो रही है या नहीं, इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता। वाचन सस्वर हो तो पता चलता है कि पढ़ा जा रहा है किंतु वह मौन हो तो यह तय कर पाना मुश्किल है कि जिसका ध्यान किताब में है, वह पढ़ ही रहा है। इसे जानने के लिए हमें भाषा के भाषण एवं लेखन अभियोग्यताओं का सहारा लेना पड़ता है। जिससे उसके सुनने–पढ़ने की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके या मूल्यांकन किया जा सके। अर्थात् श्रवण और वाचन जानकारियाँ कौशल अर्जित करने में सहायक है जबकि भाषण और लेखन अर्जित कौशल का प्रत्यक्ष प्रयोग है। इस विवेचन के आधार पर भाषिक अभियोग्यताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है –

१.२.१ **ग्रहणपरक अभियोग्यताएँ**

१.२.२ प्रयोगपरक अभियोग्यताएँ

१.२.१ ग्रहणपरक अभियोग्यताएँ

भाषा की चार अभियोग्यताओं में से ज्ञान प्राप्ति, जानकारी संग्रहण, भाषा ग्रहण तथा बातों, तथ्यों, सिद्धांतों को जानने–समझने के लिए सहायक श्रवण, वाचन को ग्रहणपरक अभियोग्यता के नाम से अभिहित किया है। सुनने पढ़ने से अर्जित ज्ञान को भाषण लेखन द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इन योग्यताओं द्वारा भाषा ग्रहण की जाती है। ग्रहणपरक अभियोग्यता ओं द्वारा भाषा की समझ विकसित होती है।अत: भाषा अर्जन की प्रक्रिया में इनका विशेष महत्व है–

१.२.१.१ श्रवण

भाषा अर्जन में श्रवण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रवण ही भाषा अर्जन का प्रथम सोपान है। बालक भाषा को प्रथम सुनता है और सुनी हुई भाषा को ही धीरे–धीरे प्रयास करते हुए बोलता है। श्रवण में बालक केवल नहीं करता तो बोलने वाले को,उसकी क्रियाओं, मुद्राओं का भी अवलोकन करता है श्रवण की प्रक्रिया में ही बालक के दिमाग में शब्द चित्र, शब्द प्रतीक, शब्द वस्तु, शब्द भाव के अंतर्संबंध विकसित होने लगते हैं। श्रवण की सजगता बालक की भाषिक क्षमता के विकास में सहायक बनती है। इसीलिए अन्य भाषी अध्येता के लिए हिंदी भाषा श्रवण के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।

मातृभाषा से भिन्न भाषा शिक्षण में भाषा के रूप में सर्वप्रथम परिचय भाषा की वर्णमाला से होता है। अध्यापक द्वारा वर्णमाला का परिचय कराना बालक के लिए प्रथमत: श्रवण उसके बाद वाचन तथा लेखन का कार्य करता है। इस समय बालक के लिए अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करते हुए श्रवण के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मातृभाषा की कहानियों के अनुवाद सुनाना, छोटी–छोटी कहानियां दृश्य श्रव्य माध्यम द्वारा दिखाना, मनोरंजक कार्टून का भी सहारा बालक की श्रवण अभिरुचि बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बड़ी कक्षाओं में श्रवण हेतु भाषा के परिनिष्ठित तथा अधिक प्रगल्भ रूप को चुना जा सकता है जिससे छात्रों की भाषा अधिक समुन्नत हो। इसमें किसी छात्र को पढ़ने का अवसर दें, अन्य को ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है।

१.२.१.२ वाचन

भाषा के ग्रहणपरक अभियोग्यता का दूसरा चरण है वचन। वर्णमाला के परिचय के बाद उस वर्णमाला के प्रत्यक्ष प्रयोग को जानने समझने की क्रिया वाचन है। वह मौन और सस्वर दोनों प्रकार का होता है। मौन वाचन में भाषा अध्येता एकाग्र होकर पढ़ता है और भाषा, शब्दों को ग्रहण करता है। सस्वर वाचन द्वारा भी शब्द, भाषा अर्जन की क्रिया तो होती ही है साथ में उच्चारण में भी सटीकता आती है। वाचन से भाषा अध्येता भाषिक प्रयोग में अधिक समर्थ होता है। श्रवण में जिस

की भाषा सुनी जा रही है उसके उच्चारण, लहजे, भाषा खामियों को भी आत्मसात करने की संभावना होती है जबकि वाचन में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है।

वाचन में प्राय: किताबों का प्रयोग होता है जिस की विश्वसनीयता अधिक होती है। यह विश्वसनीयता छात्रों में भी दृढ़ता लाती है। वाचन की रुचि छात्रों के ज्ञान वृद्धि में अधिक सहायक बनती है। अत: इस अभियोग्यता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। वाचन अभियोग्यता के विकास हेतु छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए सचित्र, कथात्मक, मनोरंजक साहित्य का चुनाव किया जा सकता है। बालकों की रुचि बनी रहे इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार साहित्य एवं भाषा का चयन करना अपेक्षित है। उच्चारण सुधार के लिए सस्वर वाचन को प्राथमिकता से स्वीकारना चाहिए।

१.२.२ प्रयोगपरक अभियोग्यता

संवाद, अभिव्यक्ति के लिए जिन भाषिक अभियोग्यताओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयोगपरक अभियोग्यता माना गया है। इन अभियोग्यताओं से भाषा प्रयोक्ता की भाषिक योग्यता का पता चलता है। किसी व्यक्ति द्वारा, अध्येता द्वारा भाषा का अर्जन किस रूप में हुआ है इसे तय करने का आधार भी प्रयोगपरक अभियोग्यताएँ ही है। भाषा अध्येता जब अपनी भाषिक योग्यता के आधार पर नौकरी पाना चाहता है तब भी उसे अपनी प्रयोगपरक भाषिक अभियोग्यता का परिचय देना पड़ता है। बाजार, व्यवसाय, नौकरी जहाँ भी भाषिक अभियोग्यताओं का संबंध आता है, वहाँ उसका सामान्य अर्थ यही निकलता है कि भाषा अध्येता किस प्रकार की भाषा बोल सकता है या किस योग्यता, निपुणता के साथ लिख सकता है। संक्षेप में भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही है कि भाषाअध्येता में भाषा के प्रयोगपरक अभियोग्यताओं का विकास करना। भाषा के प्रयोगपरक अभियोग्यता के भी दो प्रकार है– भाषण और लेखन।

१.२.२.१ भाषण

सस्वर अभिव्यक्ति भाषण है। यह श्रवण के तुरंत बाद की अभियोग्यता है। बालक या भाषा अध्येता की भाषा श्रवण के बाद का चरण है, प्राप्त भाषा का प्रयोग अर्थात भाषण। भाषण भाषा की प्रमुख प्रयोगपरक अभियोग्यता है जिसका प्रयोग सर्वाधिक सुलभ और सर्वाधिक पैमाने पर किया जाता है। भाषा बोलने के लिए यह जरूरी नहीं कि अध्येता को उस भाषा की वर्णमाला या व्याकरण का ज्ञान हो ही। इसका लिए आवश्यक है भाषा का पर्याप्त मात्रा में श्रवण और जो, जैसे सुना है उसे बोलने का प्रयास। बालक, भाषा अध्येता जब इस प्रकार के प्रयास करता है तब जितना हो सके उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। उसे बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसके पहले प्रयास की सराहना हो तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर उसके पहले प्रयास पर ही उसका मजाक उड़ाया जाए, उसकी गलतियाँ गिनाई जाए तो यह संभावना बनती है कि वह मायूस हो जाए या भाषा प्रयोग में खुद को फिसड्डी मान बोलने से कतराने लगे। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह निरंतर बालक, छात्र से हल्की फुल्की बातचीत करें। छात्र के मन में अध्यापक का भय ना हो। कई बार संबंधित भाषा में बोलने की योग्यता होने के बावजूद छात्र कक्षा के वातावरण तथा अध्यापक के डर के कारण बोलने में हिचकिचाता है।

भाषण भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें यह अपेक्षा होती है कि भाषा प्रयोक्ता अधिक नहीं तो अपने आप को ही सही ढंग से प्रस्तुत कर सकेय वह जो बोलना चाहता है, उसे उचित ढंग से बोल सके।

भाषण भाषा शिक्षण का अतिआवश्यक चरण होने के बावजूद स्नातक स्नातकोत्तर स्तर का छात्र भी भाषण अभियोग्यता में पिछड़ा हुआ जान पड़ता है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा व्यवस्था का लिखित परीक्षात्मक मूल्यांकन। भाषण अभियोग्यता के विकास के लिए छात्रों को पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। छोटी कक्षाओं के बालकों को फिल्म दिखा कर उसकी कहानी पूछना, वह जहाँ रहता है, उसके बारे में जानकारी लेनाय उसके पसंदीदा रूचि की जानकारी लेना आदि से बालों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बड़ी कक्षाओं के छात्रों को कोई प्रसंग, घटना बता कर उसकी राय लेना, कोई चित्र सामने रखकर उसके आशय को जानने का प्रयास करना, छात्रों को विषय देकर उस पर परिचर्चा करवाना या छात्रों के गाँव, माता –पिता, जीवन के बारे में उन्हें बोलने के लिए उद्युक्त करना आदि के माध्यम से उनके भाषण अभियोग्यता को विकसित किया जा सकता है।

१.२.२.२ लेखन

वर्णमाला परिचय के साथ ही लेखन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सामान्य रूप से औपचारिक भाषा शिक्षण में भाषा के वाचन और लेखन इन दो अभियोग्यताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। मातृभाषा से भिन्न भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण का लक्ष्य वाचन और लेखन की योग्यता विकसित करना बन जाता है। परिणामत: भाषा अध्येता भाषा पढ़ता तो है लेकिन उसका प्रयोक्ता नहीं बन पाता– विशेषत: बोलने के संदर्भ में। भाषा शिक्षण में लेखन पर विशेष बल दिया जाता है। छात्र लेखन में संभवत: ठीक–ठाक पाया जाता है। लेकिन यहाँ

इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि लेखन से तात्पर्य केवल रटे रटाए उत्तर से नहीं है। लेखन अभियोग्यता में यह अपेक्षित है कि भाषा अध्येता स्वयं की बात रख सके। जो कुछ उसने देखा है, महसूस किया हैउसे लिख सके, किसी विषय पर टीका टिप्पणी कर सके।

परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हल करने से लेखन कौशल का विकास नहीं होता ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ अभियोग्यता का विकास बहुत ही सीमित दायरे में होता है। जो पढ़ा है, जो रटा है उतना ही लिखा जाता है। उसके बाहर या उससे भिन्न लिखने की नौबत आए तो छात्र स्वयं को असहज महसूस करने लगता है। इसलिए लेखन अभियोग्यता के विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए छोटी कक्षाओं में छात्रों द्वारा अनुभव लिखवाना, कल का दिन कैसा रहा इसका विवरण लिखवाना, आज ग्राउंड पर क्या किया यह जानना इस तरह से बालकों के रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं को लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे उनके लेखन में सुधार आए। बड़ी कक्षाओं के लिए चित्र परिचय, फिल्म समीक्षा, व्याख्यान सार, निबंध, यात्रा वर्णन, वृत्तांत लेखन आदि के माध्यम से लेखन अभियोग्यता के विकास के प्रयास किये जा सकते हैं।

भाषिक अभियोग्यता के विकास की प्रक्रिया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक, दो, दस, पंद्रह कक्षाओं में भाषा शिक्षण पूर्ण होगा ही ऐसी बात नहीं है। एक तो भाषा शिक्षण के नाम पर बहुतायत भाषा का साहित्य, इतिहास ही पढ़ाया जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण में भाषा अध्यापक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक तो उसे निरंतर छात्रों की भाषा का परिष्कार करने के लिए तैयार रहना होगा और दूसरे उसे स्वयं की भाषा योग्यता में निरंतर वृद्धि करनी होगी। तभी सामान्य से सामान्य छात्र भी भाषा प्रयोग में सजग एवं सशक्त हो सकेगा।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय व्यवस्था से यह अपेक्षा है कि बड़ी कक्षाओं के पाठ्यक्रम बनाते समय भाषिक अभियोग्यताओं को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्यक्रम में काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, विशेष विधा या लेखक के महत्व के साथ ही भाषा प्रयोग संबंधी व्यवस्था भी होनी चाहिए। विशेषत: स्नातक के अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों के लिए श्भाषिक अभियोग्यता एवं भाषा प्रयोगश नाम से स्वतंत्र प्रश्न पत्र होना चाहिए। जिसमें ५०: प्रत्यक्ष तथा ५०: पर ही लिखित परीक्षा हो। इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हर साल बदला जाए ताकि श्रट्टा मारश की व्यवस्था ना बन पाए। इसके लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग को भी प्रश्नपत्र का अपना पाठ्यक्रम बनाने की छूट दी जा सकती है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण के केंद्र में भाषा आएगी और भाषा का छात्र भाषा प्रयोग में अधिक सशक्त बन पाएगा।

संदर्भ ग्रंथ

१. बोलियाँ एवं बोली कोश – डॉ. दीनानाथ फुलवाडकर – समता प्रकाशन, बजरंग नगर, रूरा, कानपुर – ०३
२. भाषा चिंतन के नए आयाम – डॉ. रामकिशोर भार्मा – लोकभारती प्रकाशन, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद – १
३. भारतीय साहित्य भाास्त्र – डॉ वी. एन. भालेराव – अभिजीत पब्लिकेशन, लातूर – ४१३५१२
४. भाषा और भाषा विज्ञान – गरिमा श्रीवास्तव – संजय प्रकाशन, ४३७८/४डी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली– ०२
५. भाषा विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी – किताब महल, ८४ के.पी.कक्कड रोड, इलाहाबाद – ०३
६. भाषा विज्ञान – राजमणि भार्मा – वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
७. भाशा विज्ञान एवं भाशाशास्त्र – डॉ. कपिल द्विवेदी – विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
८. भाषा विज्ञान एवं समाज भाषा विज्ञान – प्रा. महाजन – चंद्रलोक प्रकाशन, १२८/१०६ 'जी' ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर – ११
९. भाषा विज्ञान का सैद्धांतिक अनुप्रयुक्त एवं तकनीकी पक्ष – धनजी प्रसाद – प्रिय साहित्य सदन, २२२६/बी, गली नं. ३३, पहला पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली – ९४
१०. भाषा विज्ञान रूप और तत्व – सं. राम गोपाल वर्मा 'दिनेश' – सरस्वती संवाद, हरिहर प्रेस, मोतती कटरा, आगरा–०३
११. भाषा साहित्य एवं संस्कृति – डॉ.राजेश्वरी भाांडिल्य – अलका प्रकाशन, १२८/१०६ 'जी' ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर – ११
१२. मानक व्यावहारिक, हिंदी व्याकरण तथा भाशा बोध – डॉ. संतशरण शर्मा 'संत' – अमर प्रकाशन, सदर बाजार, मथुरा–०१
१३. मानक हिंदी व्याकरण – डॉ. अशोककुमार उपाध्याय – धनपत राय एंड कं. (प्रा.) लि. १७१०, नई सडक, दिल्ली – ०६
१४. व्यावहारिक हिंदी संरचना और अभ्यास – सं. चतुर्भुज सहाय
१५. शैली और शैली विज्ञान – पांडेय शशिभूषण 'शीतांशु' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली – २
१६. शैली विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी, शब्दकार प्रकाशन, तुर्कमान गेट दिल्ली – ६

१७. सामयिक हिंदी व्याकरण– राजेंद्र भटनागर– सामयिक प्रका ान, ३३२०–२१ जटवाडा, नेताजी सुभाश मार्ग, दरियागंज, दई दिल्ली– ०२

१८. हिंदी भाशा का संरचनात्मक अध्ययन – डॉ सत्यव्रत– मिलिंद प्रका ान, हैद्राबाद

१९. हिंदी भाषा व्याकरण और रचना – डॉ. अर्जुन तिवारी– वि वविद्यालय प्रकाषन, वर्धा

२०. हिंदी व्याकरण – पं. कामताप्रसाद गुरू – प्रकाशन संस्थान, ४७१५/२१, दयानंद मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली – ०२

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com